प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/NUHM/Financial/2018-19/43/ 3014-75 दिनांकः 22 .06.2018

विषयः–**राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बैंक बचत खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 131 शहरों/कस्बों के सापेक्ष 128 शहरों/कस्बों (कानपुर देहात, श्रावस्ती एवं अमेठी को छोड़कर) में कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाईयां (134 अरबन हेल्थ पोस्ट तथा 13 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र), एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया गया है तथा 214 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापित किया जा रहा है।

भारत सरकार को निदेशक, वित्त के पत्र संख्या L.19017/2016-NUHM Dt: 27.03.2017 के माध्यम से प्रेषित Guidelines for Financial Management under NUHM के अनुपालन में प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन0यू0एच0एम0 निधि का एक बैंक बचत खाता नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एन0यू0एच0एम0) के नाम से { UPHC " Name" NHM }, भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खोला जाना है। उक्त बैंक खाते का संचालन जनपद के नोडल अधिकारी (एन0यू0एच0एम0), जो उप–मुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो (प्रथम हस्ताक्षरी) एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी (नियमित/संविदा) नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (द्वितीय हस्ताक्षरी) के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी का पद रिक्त होने की दशा में पास के स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभार देते हुए द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी नामित किया जा सकता है।

प्रश्नगत बैंक बचत खाते एन0एच0एम0 के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में DHS के पूर्व में खुले बैंक बचत खातों के सी0आई0एफ0 के अन्तर्गत खोले जायेंगे। बैंक बचत खाते खोले जाने के बाद इनका पूर्ण विवरण यथा खाते का नाम, खाता संख्या, सी0आई0एफ0 संख्या, बैंक शाखा का नाम, पता, फोन नं0 आदि भारतीय स्टेट बैंक की सचिवालय शाखा को प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि इन खातो को पूर्व में खुले एन0एच0एम0 के बैंक बचत खातों के ग्रुप में सम्मिलित किया जा सके।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेखा पुस्तकों का रख–रखाव एवं पी0एफ0एम0एस0 का संचालन 16 बड़े शहरों (आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, झांसी, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर एवं वाराणसी) में एकाउन्टेन्ट कम डी0ई0ओ0 द्वारा किया जायेगा तथा अन्य शहरों में उक्त कार्य डॉटा कम लेखा सहायक द्वारा किया जायेगा।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खोले जाने वाले बैंक बचत खातों में एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि के अतिरिक्त एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों हेतु भी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बैंक बचत खाता खुलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पत्रांकः SPMU/NUHM/Financial/2018-19/43/ तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैक, सचिवालय शाखा, लखनऊ।

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Financial/2018-19/43/ दिनांक: 22.06.2018

विषयः–**राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बैंक बचत खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 131 शहरों/कस्बों के सापेक्ष 128 शहरों/कस्बों (कानपुर देहात, श्रावस्ती एवं अमेठी को छोड़कर) में कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाईयां (134 अरबन हेल्थ पोस्ट तथा 13 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र), एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया गया है तथा 214 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापित किया जा रहा है।

भारत सरकार को निदेशक, वित्त के पत्र संख्या L.19017/2016-NUHM Dt: 27.03.2017 के माध्यम से प्रेषित Guidelines for Financial Management under NUHM के अनुपालन में प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन0यू0एच0एम0 निधि का एक बैंक बचत खाता नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एन0यू0एच0एम0) के नाम से { UPHC " Name" NHM }, भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खोला जाना है। उक्त बैंक खाते का संचालन जनपद के नोडल अधिकारी (एन0यू0एच0एम0), जो उप–मुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो (प्रथम हस्ताक्षरी) एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी (नियमित/संविदा) नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (द्वितीय हस्ताक्षरी) के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी का पद रिक्त होने की दशा में पास के स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभार देते हुए द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी नामित किया जा सकता है।

प्रश्नगत बैंक बचत खाते एन0एच0एम0 के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में DHS के पूर्व में खुले बैंक बचत खातों के सी0आई0एफ0 के अन्तर्गत खोले जायेंगे। बैंक बचत खाते खोले जाने के बाद इनका पूर्ण विवरण यथा खाते का नाम, खाता संख्या, सी0आई0एफ0 संख्या, बैंक शाखा का नाम, पता, फोन नं0 आदि भारतीय स्टेट बैंक की सचिवालय शाखा को प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि इन खातो को पूर्व में खुले एन0एच0एम0 के बैंक बचत खातों के ग्रुप में सम्मिलित किया जा सके।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेखा पुस्तकों का रख–रखाव एवं पी0एफ0एम0एस0 का संचालन 16 बड़े शहरों (आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, झांसी, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर एवं वाराणसी) में एकाउन्टेन्ट कम डी0ई0ओ0 द्वारा किया जायेगा तथा अन्य शहरों में उक्त कार्य डॉटा कम लेखा सहायक द्वारा किया जायेगा।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खोले जाने वाले बैंक बचत खातों में एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि के अतिरिक्त एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों हेतु भी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बैंक बचत खाता खुलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पत्रांक: SPMU/NUHM/Financial/2018-19/43/ 3014-75 (7)   तददिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैक, सचिवालय शाखा, लखनऊ।

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण